निर्णय मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला (आर.ए.एस.)

1. सुभाषचन्द्र पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

–प्रार्थी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र हासुराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
2. बाजर देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
3. केदारमल पुत्र बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
4. कुनणी पुत्री बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
5. बिलमा पुत्री बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
6. मंजू पुत्री बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
7. ललीता पुत्री बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
8. कन्हैयालाल पुत्र बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
9. प्रेमचन्द पुत्र बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
10. रतनलाल पुत्र बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
11. लालचंद पुत्र बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
12. भागोती देवी पत्नी बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
13. चन्द्रकला पुत्री बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
14. लक्ष्मी पुत्री बीरूराम जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
15. पुष्पा पत्नी भंवरलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
16. मामता पुत्री भंवरलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
17. ललीता पुत्री भंवरलाल जाति जांगिड निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
18. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
19. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील व जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धात्र 251क राज. काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 113/2019

निर्णय दिनांक :– 17.12.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थी वकुलाय उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम टमकोर तहसील मलसीसर की ख.न. 117 रकबा 0.45 है0 ख.न. 118 रकबा 0.28 है0, ख.न. 140 रकबा 0.04 है0, ख.न. 141 रकबा 0.12 है0, ख.न. 142 रकबा 0.60 है0, ख.न. 143 रकबा 0.60 है, ख.न. 147 रकबा 0.01 है0, ख.न. 148 रकबा 4.39 है0 कुल किता 08 रकबा 5.95 है0 भूमि अवस्थित है। जो अप्रार्थीगण 01 लगायत 17 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है व आपसी सहमति से मौखिक बटवांरा कर रखा है।

प्रार्थी के अपने खेत ख.न. 146 में व्यवसायिक इस्तेमाल हेतु भूमि रूपांतरण करवाना ... जिससे प्रार्थी को 30 फुट रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने ख.न. 1258/144 गै0मु0 रास्ता 15 ... राजहित में रास्ते हेतु समर्पण करवा लिया है तथा प्रार्थी ने उक्त रास्ते की चौड़ाई 30 फुट ... प्रतिवादी सं. 1 से जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। जो की नपती में उत्तरी व दक्षिणी सीरा पूर्व से ... 15 फुट चौडा, पूर्व से पश्चिम सीरा उत्तर से दक्षिण 181 फुट लम्बा है जो मौके पर रास्ते के रूप में ... है। जिसे प्रार्थी आने–जाने के लिए उपयोग उपभोग मे ले रहा है। उक्त रास्ते से पहले से मौजुद रास्ते ... सम्मलित कर राजकीय रास्ता कटानी किया जाने बाबत प्रार्थना पत्र जरिये वकील पेश किया।

अप्राथी 01 लगायत 17 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 03 लगायत 14 ... नोटिस तामिल अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक्स–पार्टी घोषित किया गया। अप्राथी सं 01 व 02 एवं 15 लगायत 17 के उक्त रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है तो कोई एतराज आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम टमकोर के खेत ख.न. 143 रकबा 0.60 है0 में पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 15 फुट चौड़ा व 181 फुट लम्बा रास्ता मौके पर मौजुद है एवं उक्त रास्ते पर आवागमन चालु है। 15X181 फुट उक्त ख.न. में से पूर्वी सीमा के सहारे से रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत के सहारे से रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त रास्ते की किमत प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 को अदा कर चुका है। रास्ते में जो भूमि 15X181 फुट भूमि अप्रार्थी सं 01 के खाते से कम कर दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रा0पत्र अ.धारा 251 (क) का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्रम टमकोर के भूमि ख.न. 143 रकबा 0.60 है में पूर्वी सीमा के सहारे –सहारे 15 फुट चौड़ा एवं 181 फुट लम्बा की उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को बिना प्रतिफल दिये उनके हिस्से से कम कर रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है तथा निर्णयानुसार किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त रास्ते को बिना किसी प्रतिफल के राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर